(वाद संख्या–3628/17)

24.02.2021

परिवादी, सुरज यादव, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला भूमि सीमांकन विवाद से संबंधित है।

परिवादी का कथन है कि उसकी मौरूसी जमीन से सटे भगवानो कुंवर, मालती कुंवर तथा सीता देवी द्वारा मिलकर 05 डिसमिल जमीन क्रय किया गया है। क्रयोपरांत क्रेतागण उसके मौरूसी जमीन के कुछ हिस्से को हड़पना चाहते हैं जिसके लिए उन लोगों ने अपने मवेशियों का नाद चरण परिवादी के मौरूसी जमीन पर रख दिया है। क्रेताओं के अतिक्रमण से परिवादी के घर के नाली का पानी निकलना बाधित हो गया है साथ–ही–साथ उसका आवागमन भी बाधित है।

उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर, भोजपुर से जांच करवायी गयी। अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर, भोजपुर द्वारा बिहिया अंचल के अंचलाधिकारी को स्थल पर जाकर जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के प्रतिवेदन के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर, भोजपुर व अंचलाधिकारी, बिहिया, भोजपुर का भी प्रतिवेदन संलग्न है। प्रतिवेदनानुसार पूर्व में परिवादी की माता चनमुना कुंवर की ओर से प्रसंगाधीन सीमांकन विवाद को लेकर माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–11512/2017 दाखिल किया गया था जिसमें विवादित भूमि की नापी, उभय पक्ष व स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में दंडाधिकारी द्वारा करके चिन्हित बिन्दुओं पर पत्थर गड़वा दिया गया, जिससे असंतुष्ट होकर परिवादी सुरज यादव द्वारा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार के न्यायालय में एक अपील वाद संख्या–26/2018–19 दायर कर दिया गया साथ–ही–साथ परिवादी द्वारा सीमांकन हेतु सिविल कोर्ट में एक सिविल मामला भी दायर किया गया। अंचलाधिकारी के प्रतिवेदनानुसार परिवादी के विपक्षी का नाद चरण

पूर्णरूपेण विवादित खेसरा 406 में अवस्थित नहीं है साथ–ही–साथ परिवादी सुरज यादव के घर के पानी का निकास सुचारू रूप से बह रहा है एवं आवागमन हेतु रास्ता बाधित नहीं है। प्रतिवेदनानुसार स्थल पर विधि–व्यवस्था को बहाल रखने हेतु द0प्र0स0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गयी है।

आज, राज्य आयोग के समक्ष परिवादी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने विवादित भूमि के सीमांकन हेतु एक सिविल मामला जगदीशपुर सिविल कोर्ट में टायटल सूट नं0–102/2018 के रूप में दाखिल कर रखा है, जो वर्तमान में लंबित है।

अब, जबकि प्रसंगाधीन सीमांकन विवाद को लेकर एक सिविल मामला मुंसिफ जगदीशपुर के न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में राज्य आयोग के स्तर से सीमांकन हेतु कोई अनुशंसा किया जाना उचित नहीं है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर पर इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को आज पारित आदेश व जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के प्रतिवेदन (पृ0–30–28/प0) की प्रति संलग्न कर सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>